न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 44 / 2020

1 श्रीमती मनकोरी स्त्री मालाराम।
2 झुथाराम पुत्र मालाराम।
3 जगदीश पुत्र मालाराम।
4 तारा देवी स्त्री पूर्णमल पुत्र मालाराम।
5 जीताराम उर्फ जितेन्द्र पुत्र पूर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 झुमा देवी उर्फ अन्जना पुत्री पूर्णमल स्त्री फुलाराम।
7 ममता देवी पुत्री पूर्णमल स्त्री विक्रम समस्त जाति माली निवासीगण हाल ढाणी ढेलावाली तन स्यालोदड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 सुमन देवी पुत्री पूर्णमल स्त्री सन्दीप जाति माली निवासी चिड़ावा रोड सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 श्योपाली देवी स्त्री बुधराम पुत्र मालाराम।
10 सुरेन्द्र पुत्र बुधराम।
11 पूजा पुत्री बुधराम।
12 सीमा पुत्री बुधराम।
13 सरोज पुत्री बुधराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14 सावत्री स्त्री मातादीन।
15 नानूडी उर्फ बिमला पत्नी शंकरलाल समस्त जाति माली निवासीगण पुलिस का मोहल्ला छावनी नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती लाडा देवी स्त्री रामेश्वर।
2 प्रकाशचन्द पुत्र रामेश्वर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 चिरंजीलाल पुत्र रामेश्वर।
4 बनवारीलाल पुत्र रामेश्वर।
5 गोविन्दराम पुत्र रामेश्वर समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 सोनी देवी पुत्री रामेश्वर स्त्री मदनलाल जाति माली निवासी नानूवाली बावडी तन खेतडी जिला झुंझुनू।
7 प्रभाती देवी स्त्री रामलाल।
8 पाबूदान पुत्र रामलाल।
9 किशोर पुत्र रामलाल।
10 बसन्ती पुत्री रामलाल।
11 रघुवीर पुत्र रामलाल।
12 कमली पुत्री रामलाल।
13 फूलचन्द पुत्र रामलाल।
14 सीमा पुत्री रामलाल।
15 अटलबिहारी पुत्र रामलाल।
16 धोली उर्फ सुमन पुत्री रामलाल।
17 कालूराम पुत्र पोपाराम।
18 सुभाष पुत्र गुल्ला।
19 फुली स्त्री गुल्ला।
20 लीलाराम पुत्र गुल्ला।
21 रतीराम पुत्र मालाराम।
22 हीराराम पुत्र पुर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
23 गोठी देवी पुत्री पूर्णमल पुत्र मालाराम स्त्री राजु जाति माली निवासी चिड़ावा रोड़ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
24 कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र बुधराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

25 ग्यारसी देवी पुत्री मालाराम स्त्री हेमराज जाति जाट निवासी ढाणी बाडडावाली तन चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
26 भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक
22.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना जिला सीकर बसिलसिले दावा
अनुवानी रामेश्वर बनाम माला वगैरह दावा संख्या
76/2014 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 45/2020

1 श्रीमती मनकोरी स्त्री मालाराम।
2 झुथाराम पुत्र मालाराम।
3 जगदीश पुत्र मालाराम।
4 तारा देवी स्त्री पूर्णमल पुत्र मालाराम।
5 जीताराम उर्फ जितेन्द्र पुत्र पूर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 झुमा देवी उर्फ अन्जना पुत्री पूर्णमल स्त्री फुलाराम।
7 ममता देवी पुत्री पूर्णमल स्त्री विक्रम समस्त जाति माली निवासीगण हाल ढाणी ढेलावाली तन स्यालोदड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
8 सुमन देवी पुत्री पूर्णमल स्त्री सन्दीप जाति माली निवासी चिड़ावा रोड सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 श्योपाली देवी स्त्री बुधराम पुत्र मालाराम।
10 सुरेन्द्र पुत्र बुधराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 पूजा पुत्री बुधराम।
12 सीमा पुत्री बुधराम।
13 सरोज पुत्री बुधराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14 सावत्री स्त्री मातादीन।
15 नानूडी उर्फ बिमला पत्नी शंकरलाल समस्त जाति माली निवासीगण पुलिस का मोहल्ला छावनी नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती लाडा देवी स्त्री रामेश्वर।
2 प्रकाशचन्द पुत्र रामेश्वर।
3 चिरंजीलाल पुत्र रामेश्वर।
4 बनवारीलाल पुत्र रामेश्वर।
5 गोविन्दराम पुत्र रामेश्वर समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 सोनी देवी पुत्री रामेश्वर स्त्री मदनलाल जाति माली निवासी नानूवाली बावडी तन खेतडी जिला झुंझुनू।
7 प्रभाती देवी स्त्री रामलाल।
8 पाबूदान पुत्र रामलाल।
9 किशोर पुत्र रामलाल।
10 बसन्ती पुत्री रामलाल।
11 रघुवीर पुत्र रामलाल।
12 कमली पुत्री रामलाल।
13 फूलचन्द पुत्र रामलाल।
14 सीमा पुत्री रामलाल।
15 अटलबिहारी पुत्र रामलाल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 धोली उर्फ सुमन पुत्री रामलाल।
17 कालूराम पुत्र पोपाराम।
18 सुभाष पुत्र गुल्ला।
19 फुली स्त्री गुल्ला।
20 लीलाराम पुत्र गुल्ला।
21 रतीराम पुत्र मालाराम।
22 हीराराम पुत्र पुर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
23 गोठी देवी पुत्री पूर्णमल पुत्र मालाराम स्त्री राजु जाति माली निवासी चिड़ावा रोड़ सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
24 कानाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र बुधराम पुत्र मालाराम जाति माली निवासी ढाणी हरनाथवाली तन डूंगरवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
25 ग्यारसी देवी पुत्री मालाराम स्त्री हेमराज जाति जाट निवासी ढाणी बाडडावाली तन चौकड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
26 भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.03.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर बसिलसिले दावा अनुवानी रामेश्वर बनाम माला वगैरह दावा संख्या 76/2014 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश स्वामी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 16.08.2022

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 76/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 एवं 18.03.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 06 के पिता व पति रामेश्वर पुत्र लादु जाति माली निवासी ढ़ाणी हरनाथवाली ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 21 लगायत 25 के पिता व पति व दादा मालाराम व रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 16 के पिता व पति रामलाल व रेस्पोडेंट संख्या 17,18,19,20 व 26 के विरूद्व एक दावा बाबत भूमि खसरा नम्बर 854,855,856,858,859,859/1151,860,863,864,885,882,886 लगायत 891 कुल किता 17 कुल रकबा 5.74 हैक्टेयर तन ग्राम नाथा की नांगल के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया उक्त दावे में सभी प्रतिवादीगण की विधिवत तामील हुये बिना ही विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.06.2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी व तहसीलदार नीमकाथाना से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने का आदेश दिया गया उक्त बंटवारा प्रस्ताव आने पर उस पर आपत्ति प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर सुनकर अपने आदेश दिनांक 26.04.2017 के द्वारा पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश दिया गया व पुनः तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट आने पर आपत्ति प्रस्तुत हुई जिसे सुनकर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.12.2017 के द्वारा उक्त रिपोर्ट को अमान्य कर नायब तहसीलदार से पुनः बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिया व रिपोर्ट आने पर उक्त बंटवारा प्रस्ताव में रास्तो का अंकन नही होने से उस पर प्रस्तुत आपत्ति पर सुनकर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.04.2019 के द्वारा प्रत्येक खातेदार के अपनी खातेदारी भूमि से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पहुचने के लिए रास्ते का अंकन करने हेतु पुनः तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया व पुनः रिपोर्ट आने पर उस पर भी आपत्ति प्रस्तुत होने पर दोनो पक्षो को दिनांक 03.09.2019 को सुनने के बाद आदेश हेतु उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 16.09.2019 नियत की गई है। इसके पश्चात दिनांक 23.12.2019 को विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो को सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर व उभयपक्ष व वकील व समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में यह निवेदन किया कि मौके पर पीठासीन अधिकारी द्वारा बंटवारा किया जावे तथा पीठासीन अधिकारी मौके पर रास्ते का निर्णय कर दे जिस पर विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 20.01.2020 को मौका मुआयना कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2020 के द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.06.2019 के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से दो पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.05.2014 को वादी रामेश्वर द्वारा ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 854,855,856, 858,859,860,863,864,885,882,886,887,888, 889, 890 ,891 बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार प्रकरण दिनांक 06.06.2014, 08.08.204, 28.10.2014, 13.11.2014, 19.11.2014, 12.12.2014, 23.01.2015, 26.03.2015, 13.04.2015,29.04.2015,08.05.2015,18.05.2015,04.06.2015को प्रतिवादीगण की तलबी में नियत रहा है। इस तिथि के उपरान्त प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण किये बिना, प्रतिवादीगण की तामील पर विधि सम्मत निर्णय किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना विचारण न्यायालय द्वारा सीधे ही दिनांक 22.06.2015 को एकपक्षीय रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसके उपरान्त प्रकरण में तीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बार तहसीलदार एवं एक बार स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने का अंकन है। इन विभाजन प्रस्ताव पर कही भी अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। यह विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सुचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री राजस्थान कोर्ट मेन्युअल के विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में सभी पक्षकारों की सम्यक तामील के उपरान्त उपस्थिति रही है। पक्षकारों के मध्य हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है। बंटवारे के सम्बंध में पक्षकारों के मध्य विवाद रास्ते को लेकर है। विचारण न्यायालय द्वारा चार–चार बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। प्रस्तुत प्रकरण में तीन बार तहसीलदार एवं एक बार पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका देखा जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। इनमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.05.2014 को वादी रामेश्वर द्वारा ग्राम नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 854,855,856, 858,859,860,863,864,885,882,886,887,888, 889, 890 ,891 बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अनुसार प्रकरण दिनांक 06.06.2014, 08.08.204, 28.10.2014, 13.11.2014, 19.11.2014, 12.12.2014, 23.01.2015, 26.03.2015, 13.04.2015,29.04.2015,08.05.2015,18.05.2015,04.06.2015को प्रतिवादीगण की तलबी में नियत रहा है। इस तिथि के उपरान्त प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण किये बिना, प्रतिवादीगण की तामील पर विधि सम्मत निर्णय किये बिना, जवाब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना विचारण न्यायालय द्वारा सीधे ही दिनांक 22.06.2015 को एकपक्षीय रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसके उपरान्त प्रकरण में तीन बार तहसीलदार एवं एक बार स्वंय पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने का अंकन है। इन विभाजन प्रस्ताव पर कही भी अपीलांट के हस्ताक्षर नही है। यह विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सुचित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री राजस्थान कोर्ट मेन्युअल के विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माने जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अनुसार गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर